

भाग 4(क)
राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।
विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग
(ग्रुप-2)
अधिसूचना
जयपुर, अगस्त 17, 2002

संख्या प. 2 (1) विधि/2/1999 :- राजस्थान राज्य विधान मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 06 अगस्त, 2002 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है।

रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999
(2002 का अधिनियम संख्यांक 9)

(राष्ट्रपति महोदय की अनुमति दिनांक 06 अगस्त 2002 को प्राप्त हुई)

अतिचारियों की बेदखली के लिए राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड में शक्तियां निहित करने और औद्योगिक क्षेत्रों में अप्राधिकृत विकास को ढहाने के लिए और उनसे संसक्त विषयों के लिए उपबंध करने के लिए अधिनियम।

भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है :-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

- संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ** - (1) इस अधिनियम का नाम रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999 है।
(2) इसका प्रसार संपूर्ण राजस्थान राज्य में है।
(3) यह उस तारीख को प्रवृत्त होगा जो राज्य सरकार राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा नियत करें।
(4) यह राज्य सरकार द्वारा राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड को अंतरित समस्त भूमि और राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड द्वारा क्रीत या अर्जित या अन्यथा धारित भूमि पर लागू होगा।
- परिभाषाएं** :- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-
(क) "बोर्ड " से निगम का निदेशक बोर्ड अभिप्रेत है;

- (ख) “निगम” या “रीको” से कम्पनी अधिनियम, 1956 (1956 का केन्द्रीय अधिनियम सं.1) के अधीन गठित राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन लिमिटेड अभिप्रेत है;
- (ग) “विकास” से किसी भी भूमि में या उसके ऊपर या नीचे परियोजनाओं, संरचनाओं, भवनों, इंजीनियरी या अन्य **संक्रियाओं** का कार्यान्वयन करना या किसी भी परियोजना, संरचना, भवन या भूमि या उसके उपयोग में कोई भी तात्त्विक परिवर्तन करना अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत किसी भी भूमि का पुनर्विकास और अभिन्यास और उपविभाजन करना आता है;
- (घ) “सरकार” से राजस्थान सरकार अभिप्रेत है;
- (ङ.) “अधिभोगी” से ऐसा व्यक्ति अभिप्रेत है जो रीको औद्योगिक क्षेत्रों में किसी स्थल या भवन का अधिभोग करता है और उसके अन्तर्गत उसके उत्तराधिकारी और समनुदेशिती आते हैं;
- (च) “योजना” से निगम द्वारा अनुमोदित कोई योजना अभिप्रेत है;
- (छ) “भूमि” से राज्य सरकार द्वारा निगम को अंतरित भूमि और उसके द्वारा क्रीत या अर्जित या अन्यथा धारित भूमि अभिप्रेत है;
- (ज) “लोक मार्ग” से निगम द्वारा विकसित किया गया या विकसित करवाया गया कोई भी मार्ग अभिप्रेत है;
- (झ) “नियम” से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियम अभिप्रेत हैं; और
- (ञ) “भूमि” व्ययन नियम” से निगम द्वारा, उक्त निगम के संगम अनुच्छेद के अनुच्छेद 93(xv) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बनाये गये और समय-समय पर यथा-संशोधित राजस्थान स्टेट इण्डस्ट्रियल डवलपमेन्ट एण्ड इन्वेस्टमेन्ट कारपोरेशन डिस्पोजल ऑफ लैण्ड रूल्स, 1979 अभिप्रेत हैं।

अध्याय 2

अपराध और निगम की शक्तियां

3. अप्राधिकृत विकास के लिए या योजनाओं के अनुरूप से अन्यथा उपयोग के लिए शास्ति.
- (1) कोई भी व्यक्ति, जो चाहे स्वप्रेरणा से या किसी भी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा से किसी भी भूमि का:
- (क) भूमि व्ययन नियमों के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना; या
- (ख) दी गयी किसी भी अनुज्ञा के अनुसार से अन्यथा या ऐसी किसी भी शर्त के उल्लंघन में, जिसके अध्यक्षीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी है; या
- (ग) विकास की अनुज्ञा के सम्यक् रूप से प्रति संहत कर लिए जाने के पश्चात्;

विकास प्रारम्भ करता है, उसका जिम्मा लेता है या उसे कार्यान्वित करता है, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किये जाने पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिए दोषसिद्ध के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो किसी योजना के उपबंधों के उल्लंघन में किसी भी भूमि या भवन का उपयोग करना भूमि व्ययन नियम, 1979 के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किये बिना चालू रखता है या अनुज्ञात करता है या जहाँ पूर्वोक्त नियमों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन ऐसे उपयोग को चालू रखना अनुज्ञात किया गया है वहाँ ऐसा उपयोग ऐसी कालावधि के पश्चात् जिसके लिए उपयोग अनुज्ञात किया गया है, चालू रखना या ऐसे निबंधनों और शर्तों का, जिनके अधीन ऐसे उपयोग अनुज्ञात है, अनुपालन किये बिना चालू रखता है, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा, सिद्धदोष किये जाने पर, ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, और चालू रहने वाले अपराध की दशा में ऐसे और जुर्माने से, जो अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिए दोषसिद्ध के पश्चात् प्रत्येक ऐसे दिन, जिसके दौरान अपराध चालू रहता है, के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

4. भूमि पर अधिक्रमण या बाधा—(1) जो कोई भी, किसी लोक मार्ग में नाली के ऊपर की सीढ़ियों की सिवाय, किसी भी भूमि पर, जो प्राइवेट संपत्ति न हो, कोई भी अधिक्रमण करता है, उसे अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किये जाने पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा किन्तु जो एक वर्ष तक हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से, जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु न्यायालय, निर्णय में उल्लिखित किये जाने वाले किसी भी पर्याप्त या विशेष कारण से, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी, किसी लोक मार्ग में नाली के ऊपर की सीढ़ियों के सिवाय, किसी भी भूमि पर, जो प्राइवेट संपत्ति न हो, कोई भी बाधा खड़ी करता है, उसे, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किये जाने पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) निगम या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को किसी भी ऐसी बाधा या अधिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय ऐसे व्यक्ति से वसूल किया जायेगा जिसने उक्त बाधा खड़ी की है या अधिक्रमण किया है।

(4) जो कोई भी, इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होने पर भी, किसी भी भूमि से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाता है उसे, अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा

सिद्धदोष किये जाने पर, ऐसे कारावास से, जो छह मास तक का हो सकेगा या ऐसे जुर्माने से, जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंधों में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, निगम या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में उपबंधितानुसार की गयी कार्यवाही के अतिरिक्त, इस धारा में निर्दिष्ट भूमि पर पायी गयी या, यथास्थिति, ऐसी भूमि से संलग्न किसी वस्तु से स्थायी रूप से जकड़ी हुयी किसी भी संपत्ति को अभिगृहीत या कुर्क करने की शक्ति होगी।

(6) जहां कोई भी संपत्ति निगम द्वारा प्राधिकृत अधिकारी द्वारा अभिगृहीत या कुर्क की जाये, वहां वह ऐसे अभिग्रहण या कुर्की की रिपोर्ट निगम के ऐसे कृत्यकारी को तुरन्त करेगा जिसे भूमि व्ययन नियमों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों में विनिर्दिष्ट किया जाये।

(7) निगम का कृत्यकारी, जैसा कि उप-धारा (6) में निर्दिष्ट किया गया है, अधिहरण की कार्यवाहियों की समाप्ति तक अभिगृहीत या कुर्क की गयी संपत्ति की समचिंत अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह ठीक समझे, और यदि व संपत्ति शीघ्रतया और प्राकृतिक क्षयशील हो या अन्यथा ऐसा करना समीचीन हो तो ऐसा कृत्यकारी उसे विक्रीत या अन्यथा व्ययनित किये जाने का आदेश दे सकेगा।

(8) जहां कोई संपत्ति उप-धारा (7) के अधीन विक्रीत की जाये, वहां उसके विक्रय आगम, ऐसे विक्रय के व्ययों या उससे सम्बन्धित अन्य आनुषांगिक व्ययों, यदि कोई हों, की कटौती के पश्चात्,—

(क) जहां अधिहरण का कोई भी आदेश पारित नहीं किया जाये, या

(ख) जहां अपील में पारित आदेश में ऐसा अपेक्षित है,

वहां उसके पट्टेदार या अधिभोगी को या ऐसे व्यक्ति को, संदत किये जायेंगे जिससे वह अभिगृहीत की गयी है।

(9) जहां कोई भी संपत्ति उप-धारा (5) के अधीन अभिगृहीत या कुर्क की जाये वहां निगम का कृत्यकारी ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(10) संपत्ति के अधिहरण का कोई भी आदेश उप-धारा (9) के अधीन तब तक नहीं किया जायेगा जब तक ऐसी संपत्ति के पट्टेदार या अधिभोगी को या ऐसे व्यक्ति को, जिससे वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है,—

(क) उन आधारों की, जिन पर संपत्ति का अधिहरण किया जाना प्रस्तावित है, जानकारी देते हुए कोई लिखित नोटिस;

(ख) ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर—भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, अधिहरण के आधारों के विरुद्ध लिखित अभ्यावेदन करने का कोई अवसर; और

(ग) मामले में सुने जाने का कोई युक्तियुक्त अवसर,

न दे दिया गया हो।

(11) उप-धारा (9) के अधीन अधिहरण के आदेश से ऐसे किसी भी दण्ड का अधिरोपण नहीं रूकेगा जिससे, उससे प्रभावित व्यक्ति, इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

(12) उप-धारा (7) या उप-धारा (9) के अधीन किये गये किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति उसे ऐसे आदेश की संसूचना की तारीख से तीस दिन के भीतर-भीतर उसके विरुद्ध उस जिले के जिला न्यायाधीश को अपील कर सकेगा जिसमें ऐसी संपत्ति अभिगृहीत या कुर्क की गयी है।

(13) ऐसी अपील किये जाने पर जिला न्यायाधीश अपीलार्थी और प्रत्यर्थी को सुने जाने का अवसर देने के पश्चात्, अपील के निपटारे तक के लिए जहां आवश्यक हो, आदेश के रोक दिये जाने का निर्देश दे सकेगा, और ऐसे अधिहरण के आदेश को या तो अभिपुष्ट या उपांतरित कर सकेगा या बातिल कर सकेगा और ऐसे कोई और आदेश कर सकेगा जिन्हें वह न्यायसंगत समझे।

(14) जब कभी कोई संपत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण होने तक अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब, तत्समय प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी भी सिविल न्यायालय, अधिकरण या अन्य प्राधिकरण को ऐसी संपत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण से सम्बन्धित आदेश करने की अधिकारिता नहीं होगी।

(15) जहां किसी भी व्यक्ति को उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन के किसी अपराध के लिए अभियोजित किया जाये वहां यह साबित करने का भार उस पर होगा कि उसने अपराध नहीं किया है।

(16) जो कोई भी इस धारा के अधीन दण्डनीय अधिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित करने के कर्तव्य से विनिर्दिष्ट रूप में न्यस्त निगम का कर्मचारी होते हुए ऐसे अधिक्रमण या बाधा को रोकने या निवारित करने में जानबूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जानबूझकर लोप करता है, उसे अधिकारिता रखने वाले किसी न्यायालय द्वारा सिद्धदोष किये जाने पर ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो एक मास तक की हो सकेगी या ऐसे जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा :

परन्तु कोई भी न्यायालय इस उप-धारा के अधीन दण्डनीय अपराध के लिए ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध संज्ञान निगम के प्रबन्ध निदेशक की पूर्व मंजूरी के सिवाय नहीं लेगा।

(17) इस धारा के अधीन किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी द्वारा नहीं किया जायेगा।

5. कम्पनियों द्वारा अपराध - (1) यदि इस अधिनियम के अधीन का कोई अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध के किये जाने के समय कम्पनी का प्रभारी था और कम्पनी के कार्यभार के संचालन के लिए कम्पनी के प्रति

उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी, ऐसे अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे :

परन्तु इस उप-धारा में अंतर्विष्ट कोई भी बात इस अधिनियम में उपबंधित किसी दण्ड के लिए किसी ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर दे कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या कि उसने ऐसे अपराध के लिये जाने को रोकने के लिए सभी सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में अंतर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित कर दिया जाये कि अपराध कम्पनी के किसी भी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सम्पत्ति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी किसी भी उपेक्षा के फलस्वरूप किया गया माना जा सकता है, वहां ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिए,—

(क) “कम्पनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और उसके अन्तर्गत कोई फर्म या अन्य व्यष्टि—संगम भी आता है; और

(ख) किसी फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म में का कोई भागीदार अभिप्रेत है।

6. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति—(1) जहां भूमि का कोई भी अप्राधिकृत विकास धारा-3 की उप-धारा (1) में उपदर्शित रूप में कार्यान्वित किया गया है वहां निगम, इस धारा के उपबंधों के अध्यधीन रहते हुए, भूमि के पट्टा-धारक और/या अधिभोगी पर उससे, नोटिस की तामील के पश्चात् एक मास से अनधिक की ऐसी कालावधि के भीतर—भीतर, जो उसमें विनिर्दिष्ट की जाये,—

(क) धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों में, भूमि को उसकी उक्त अप्राधिकृत विकास होने के पूर्व की विद्यमान दशा में लाने के लिए; और

(ख) धारा 3 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) में विनिर्दिष्ट मामलों में, दी गयी शर्तों या अनुज्ञा का अनुपालना सुनिश्चित करने के लिए,

ऐसे कदम उठाने की अपेक्षा कर सकेगा जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) विशिष्टतया ऐसे नोटिस द्वारा उप-धारा (1) के प्रयोजनों के लिए—

(क) किसी भी भवन या संकर्म को ढहाने या उसमें परिवर्तन करने या कोई भी अन्य सक्रिया कार्यान्वित करने, या

(ख) भूमि या भवन या संकर्म के किसी भी उपयोग को बंद करने, की अपेक्षा की जा सकेगी।

(3) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर—भीतर और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से भूमि या किसी भी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के

लिए या उस भूमि का, जिसके संबंध में नोटिस है, उपयोग जारी रखने के लिए, भूमि व्ययन नियमों या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा, और अंतिम अवधारण होने या आवेदन वापिस लेने तक, मात्र नोटिस का तामील किया जाना अपने आप में किसी भी प्रकार से भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण या ऐसे उपयोग के जारी रखे जाने का प्रभावित नहीं करेगा।

(4) यदि आवेदित अनुज्ञा दे दी जाये तो नोटिस प्रत्याहृत हो जायेगा, किन्तु यदि आवेदित अनुज्ञा नहीं दी जाये तो नोटिस कायम रहेगा, या यदि ऐसी अनुज्ञा केवल कुछ भवनों, या संकर्मों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के केवल एक भाग का उपयोग जारी रखने के लिए दी जाये तो नोटिस ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि ऐसे भाग के संबंध में प्रत्याहृत हो जाएगा किन्तु अन्य भवनों या संकर्मों या, यथास्थिति, भूमि के अन्य भागों के संबंध में बना रहेगा; और तब पट्टा-धारक और/या अधिभोगी से ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भाग के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन के नोटिस में विनिर्दिष्ट कदम उठाने की अपेक्षा की जायेगी।

(5) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर-भीतर या उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात् उक्त कालावधि के भीतर-भीतर नोटिस का अंशतः अनुपालन किया जाये या वह अंशतः प्रत्याहृत समझा जाये तो उसके ऐसे भाग के लिए, जो अननुपालित रह जाये, निगम-

(क) नोटिस का अनुपालन नहीं करने के लिए पट्टा-धारक को और जहां नोटिस द्वारा भूमि के किसी भी उपयोग को बंद करने की अपेक्षा की जाये वहां ऐसे किसी भी अन्य व्यक्ति को, जो नोटिस के उल्लंघन में भूमि का उपयोग करता है या भूमि का उपयोग कराता है या करने की अनुज्ञा देता है, अभियोजित कर सकेगा; और

(ख) जहां नोटिस द्वारा किसी भी भवन या संकर्म को ढहाने या उसमें परिवर्तन करने या कोई भी भवन या अन्य संक्रियाएं कार्यान्वित करने की अपेक्षा की जाये वहां, भूमि को उसकी उस स्थिति में प्रत्यावर्तित करवा सकेगा जिसमें वह अप्राधिकृत विकास होने के पूर्व विद्यमान थी और अनुज्ञा या उपांतरित अनुज्ञा की शर्तों का अनुपालन ऐसे कदम, जो निगम आवश्यक समझे, जिनमें किसी भी भवन या संकर्म को ढहाना या उसमें परिवर्तन करना या किसी भी भवन या अन्य संक्रिया या क्रियान्वयन सम्मिलित है; उठाकर सुनिश्चित कर सकेगा और उसके द्वारा इस निमित्त उपगत किन्हीं भी व्ययों की रकम पट्टा-धारक और /या अधिभोगी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल कर सकेगा।

(6) उप-धारा (5) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई भी व्यक्ति, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से, जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा; और चालू रहने वाले अपराध की दशा में, ऐसे और जुर्माने से; जो अपराध के प्रथम बार किये जाने के लिये दोषसिद्ध के पश्चात्, ऐसे प्रत्येक दिन, जिसके दौरान ऐसा अपराध चालू रहता है, के लिए एक सौ रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा।

7. **अप्राधिकृत विकास का संक्षिप्त प्रक्रिया से हटाया जाना या बंद किया जाना** – इस अध्याय में उसके पूर्व अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने धारा 3 की उप-धारा (1) में उपदर्शितानुसार अप्राधिकृत रूप से कोई भी विकास कार्यान्वित किया है वहां निगम, लिखित आदेश द्वारा, आदेश की प्राप्ति के पंद्रह दिन के भीतर-भीतर, पूर्वोक्तानुसार अप्राधिकृत रूप से परिनिर्मित किसी भी संरचना या किये गये संकर्म को हटाने या भूमि के किये जा रहे उपयोग को बंद करने के लिये उसे निर्देश दे सकेगा; और उसके पश्चात् यदि वह व्यक्ति आदेश का उक्त कालावधि के भीतर-भीतर अनुपालन नहीं करता है तो निगम या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी आदेश में निर्दिष्टानुसार ऐसी संरचना या संकर्म को किसी नोटिस के बिना, संक्षिप्त प्रक्रिया से हटवा सकेगा या ऐसे उपयोग को संक्षिप्त प्रक्रिया से बन्द करवा सकेगा; और तत्पश्चात् अप्राधिकृत रूप से किया गया कोई भी और विकास पूर्वोक्तानुसार कोई भी आदेश किये बिना वैसी ही संक्षिप्त प्रक्रिया से हटाया या बन्द किया जायेगा।
8. **उपगत व्यय की वसूली** – इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन निगम द्वारा उपगत कोई भी व्यय ऐसी राशि होगी जो इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रमी व्यक्ति या भूमि या भूखण्ड के पट्टेदार या अधिभोगी से निगम को शोध्य होगी और भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।
9. **विधिक विषयों के बारे में निगम की शक्ति** – निगम,—
- (क) कोई भी विधि कार्यवाही संस्थित या प्रतिवादित कर सकेगा या उससे अलग हो सकेगा।
- (ख) इस अधिनियम के अधीन के किसी भी अपराध का शमन कर सकेगा और
- (ग) किसी भी विधिक कार्यवाही में या अन्यथा किये गये किसी भी दावे को स्वीकार कर सकेगा, उसमें समझौता कर सकेगा या उसे प्रत्याहत कर सकेगा।
10. **प्रवेश की शक्ति** (1) जहां इस अधिनियम के उपबंधों के विरुद्ध किये गये व्यतिक्रम या उल्लंघन का कोई भी मामला निगम की जानकारी में आये वहां निगम का इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी सहायकों या कर्मकारों के सहित या उनके बिना किसी भी भूमि या भवन में या पर,—
- (क) कोई भी जांच, निरीक्षण, माप या सर्वेक्षण करने या ऐसी भूमि या भवन का तलमापन करने;
- (ख) सन्निर्माणाधीन संकर्मों की परीक्षा करने और मलनालियों और नालियों का मार्ग अभिनिश्चित करने;
- (ग) अवमृदा का उत्खनन या वेधन करने;
- (घ) संकर्म की सीमाएं और आशयित रेखाएं उपवर्णित करने;
- (ङ.) चिन्ह लगाकर ऐसे तलमापन करने, सीमाएं और रेखाएं बनाने और खाइयां काटने;

(च) यह अभिनिश्चित करने कि आया कोई भूमि, किसी योजना के उल्लंघन में या अनुज्ञा के बिना या ऐसी किसी भी शर्त के उल्लंघन में जिसके अधीन रहते हुए इस अधिनियम के अधीन ऐसी अनुज्ञा दी गयी है, विकसित की जा रही है या की गयी है; या

(छ) इस अधिनियम के दक्ष प्रशासन के लिए आवश्यक कोई अन्य बात करने,

के प्रयोजनों के लिये प्रवेश कर सकेगा :

परन्तु—

(1) ऐसा कोई प्रवेश, सूर्योदय और सूर्यास्त के समयों के बीच के सिवाय और भूमि या भवन क अधिभोगी को या यदि कोई अधिभोगी न हो तो पट्टेदार को, कम से कम चौबीस घंटे की समुचित सूचना दिये बिना, नहीं किया जायेगा;

(2) महिलाओं के लिये विनियोजित किसी भी कमरे के निवासियों को परिसर के ऐसे भाग में, जहां उनकी एकांतता में बाधा न पड़े, चले जाने में समर्थ बनाने के लिए प्रत्येक बार पर्याप्त सूचना दी जायेगी; और

(3) जिन प्रयोजनों के लिए प्रवेश किया जाये, उनकी अत्यावश्यकताओं के जहां तक अनुकूल हो सके, प्रवेश किये जाने वाले परिसर के अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का सम्यक ध्यान सदैव रखा जायेगा।

(2) निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजनार्थ प्रवेश करने के लिए उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी भी व्यक्ति के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य रोध को खोलना या खुलवाना विधिपूर्ण होगा,—

(क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोला जाना आवश्यक समझे; और

(ख) यदि पट्टेदार या अधिभोगी अनुपस्थित हो या, उपस्थित होते हुए ऐसे दरवाजे, फाटक या रोध को खोलने से इंकार करें।

अध्याय 3

प्रकीर्ण

11. **अपराधों का विचारण** — मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट के न्यायालय से अवर कोई भी न्यायालय इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय किसी भी अपराध का विचारण नहीं करेगा।
12. **जुर्माने का उसकी वसूली के पश्चात् निगम को संदत्त किया जाना**—इस अधिनियम के अधीन के अभियोजन के संबंध में वसूल किये गये सभी जुर्माने निगम को संदत्त किये जायेंगे।
13. **सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन**—तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, कोई भी सिविल न्यायालय किसी भी ऐसे मामले का संज्ञान नहीं लेगा जो इस अधिनियम के अधीन निगम या निगम के बोर्ड या बोर्ड द्वारा नियुक्त

किसी समिति या बोर्ड के किसी भी निदेशक या सचिव या अधिकारी या किसी भी निकाय द्वारा विनिश्चित किया जाना अपेक्षित है या विनिश्चित किया जाये।

14. **निगम के विरुद्ध वाद का नोटिस** – (1) भूमि व्ययन नियमों, या इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों के अधीन या तद्धीन किये गये किसी भी आदेश या विनियम के अनुसरण में किये गये या किये हुए तात्पर्यित किसी भी कार्य के संबंध में निगम या उसके किसी भी निदेशक या उसके किन्हीं भी अधिकारियों या अन्य कर्मचारियों या निगम या किसी भी निदेशक, या किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति के विरुद्ध कोई भी वाद तब तक संस्थित नहीं किया जायेगा जब तक ऐसी तारीख से दो मास समाप्त न हो गये हों जिसको लिखित नोटिस, ऐसे व्यक्तियों के, जिन पर वाद लाया जाना है, कार्यालय या निवास-स्थान पर छोड़ा गया है और जब तक ऐसे नोटिस में वाद हेतुक, चाहे गये अनुतोष की प्रकृति, दावाकृत प्रतिकर की रकम और आशयित वादी का नाम और निवास स्थान वर्णित न हो और जब तक वाद पत्र में ऐसा कथन अन्तर्विष्ट न हो कि ऐसा नोटिस छोड़ा या परिदत्त कर दिया गया है।
- (2) कोई भी वाद, जैसा कि उप-धारा (1) में वर्णित है, जब तक वह स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण के लिए या उसके हक की घोषणा के लिए कोई वाद न हो, वाद हेतुक उदभूत होने के तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात्, संस्थित नहीं किया जायेगा।
15. **निगम को उन्मुक्ति** – इस अधिनियम के अधीन विधिपूर्वक और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सतर्कता और ध्यान से की गयी किसी भी बात के संबंध में निगम या निगम के निर्देश के अधीन कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति या निदेशक, या निगम के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी के विरुद्ध कोई भी वाद, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही चलने योग्य नहीं होगी।
16. **निगम के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक होना**—निगम का प्रत्येक निदेशक, अधिकारी और कर्मचारी भारतीय दण्ड संहिता, 1860 (1860 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 21 के अर्थान्तर्गत लोक सेवा समझा जायेगा।
17. **इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील** – इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन या भूमि व्ययन नियमों के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों द्वारा किसी भी व्यक्ति पर तामील किये जाने के लिए अपेक्षित समस्त दस्तावेज, जिस अभिव्यक्ति में नोटिस और आदेश सम्मिलित हैं, इस अधिनियम द्वारा या तद्धीन या भूमि व्ययन नियमों के अधीन बनाये गये नियमों या विनियमों में जैसा अन्यथा संबोधित है उसके सिवाय, वहां सम्यक् रूप से तामील किये हुए समझे जायेंगे जहां वे रजिस्ट्रीकृत डाक से भेज दिये जायें या कारबार के स्थान पर परिदत्त कर दिये जायें या उस व्यक्ति को दे दिये या निविदत्त कर दिये जायें जिसे वे संबधित हैं या यदि ऐसे व्यक्ति को पाया नहीं जा सकता हो तो उसके निवास या कारबार के अंतिम ज्ञात स्थान के सहजदृश्य भाग पर चस्पा कर दिये जायें या उसके कुटुम्ब के किसी वयस्क सदस्य को दे दिये या निविदत्त कर दिये जायें या ऐसी भूमि या भवन के किसी सहजदृश्य भाग पर चस्पा कर दिये जायें, जिससे वे संबधित हैं, या जहां इस धारा के पूर्वागामी उपबंधों में उपदर्शित रीति से किसी व्यक्ति पर दस्तावेजों

की तामील करने का प्रयास विफल हो जाये, वहां यदि तामील किये जाने वाले दस्तावेज का नोटिस किसी प्रमुख दैनिक स्थानीय हिन्दी समाचार पत्र में प्रकाशित कर दिया जाये तो यह ऐसे व्यक्ति पर दस्तावेजों की प्रभावी तामील समझी जायेगी।

18. सरकार की नियम बनाने की शक्ति – (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रयोजनों को कार्यन्वित करने के लिए नियम बना सकेगी।

(2) रीको, ऐसे समस्त या किन्हीं भी विषयों के लिए जिनका इस अधिनियम के अधीन विनियमों द्वारा शासित होना उपबंधित है, और साधारणतः ऐसे सभी आनुषांगिक विषयों के लिए भी, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपबन्ध आवश्यक है, राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन के अध्याधीन रहते हुए, समय-समय पर विनियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन इसके प्रारम्भ के पश्चात् बनाये गये समस्त नियम, उनके बनाये जाने पश्चात् यथाशीघ्र, राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष, जब वह सत्र में हो, कुल चौदह दिन की कालावधि के लिए रखे जायेंगे जो एक सत्र में या दो या अधिक उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी और यदि उस सत्र, जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या पूर्वोक्त उत्तरोत्तर सत्रों की समाप्ति के पूर्व सदेव नियमों या, यथास्थिति, विनियमों में कोई भी उपांतरण करने में सहमत होता है या संकल्प करता है कि नियम या, यथास्थिति, विनियम नहीं बनाये जाने चाहिए तो तत्पश्चात् नियम या, यथास्थिति, विनियम केवल ऐसे उपान्तरित रूप में प्रभावी होंगे या, यथास्थिति, उनका कोई प्रभाव नहीं होगा तथापि, ऐसा कोई भी उपांतरण या बातिलकरण इन नियमों या, यथास्थिति, विनियमों के अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर प्रभाव नहीं डालेगा।

(4) उप-धारा (2) के अधीन रीको द्वारा बनाये गये विनियम या उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये नियम तब तक प्रभावी नहीं होंगे जब तक वे राज-पत्र में प्रकाशित नहीं किये जायें।

(5) राज्य सरकार, किसी भी समय राज-पत्र में अधिसूचना द्वारा, रीको द्वारा बनाये गये किसी विनियम को पूर्णतः या भागतः निरसित या उपान्तरित कर सकेगी परन्तु इस उप-धारा के अधीन कोई भी कार्यवाही करने से पूर्व, राज्य सरकार, रीको को ऐसे आधारों के बारे में संसूचित करेगी, जिनके कारण वह ऐसा करने का प्रस्ताव करती है, प्रस्ताव के विरुद्ध कारण दर्शित करने हेतु रीको के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी और रीको के स्पष्टीकरणों और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(6) किन्हीं भी विनियमों के निरसन या उपान्तरण, यदि उनमें कोई तारीख विनिर्दिष्ट नहीं है तो राज-पत्र में अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से प्रभावी होंगे और ऐसी तारीख से पूर्व की गयी या लोपित या भुक्त किसी भी बात को प्रभावित नहीं करेंगे।

(जी.एस.होरा.)
शासन सचिव

LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT

(GROUP-II)

NOTIFICATION

Jaipur, August 17, 2002

No. F 2 (1) Vidhi/2/1999- In pursuance of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of RIICO Audhyogik Kshetra (Apradhikrit Vikas Aur Adhikraman Nivaran) Adhinyam, 1999 (2002 Ka Adhinyam Sankhyan 9):-

(Authorised English translation)

THE RIICO INDUSTRIAL AREAS (PREVENTION OF UNAUTHORISED
DEVELOPMENT AND ENCROACHMENT) ACT, 1999

(Act No. 9 of 2002)

(Received the assent of the President on the 6th August, 2002)

An

Act

to vest powers in the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited for eviction of trespassers and to provide for demolition of unauthorised development in industrial areas and for matters connected therewith.

Be it enacted by the Rajasthan State Legislature in the Fifty second Year of the Republic of India, as follows:-

CHAPTER-I

Preliminary

1. **Short title, extent and commencement.**- (1) Act may be called the RIICO Industrial Areas (Prevention Unauthorised Development and Encroachment) Act, 1999
 - (2) It extends to the whole of the State of Rajasthan.
 - (3) It shall come into force on such date as the Government may, by notification in the official Gazette appoint.
 - (4) It shall apply to all the land transferred to Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited by the State Government and land purchased or acquired or otherwise held by the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited.

- 2. Definitions.-** In this Act unless the context otherwise requires,-
- (a) **'Board'** means the Board of Directors of the Corporation,
 - (b) **'Corporation'** or 'RIICO' means the Rajasthan State Industrial Development and Investment Corporation Limited, constituted under the Companies Act, 1956 (Central Act No. 1 of 1956);
 - (c) **'Development'** means the carrying out of projects, structures, buildings, engineering other operation in or over or under any project, structure, building or land or its use and includes redevelopment and laying out and sub-division of any land;
 - (d) **'Government'** means the Government of Rajasthan;
 - (e) **'Occupier'** means a person who occupies a site or building in RIICO industrial areas and includes his successors and assigns;
 - (f) **'Plan'** means a plan approved by the Corporation.
 - (g) **'Land'** means the land transfereed to the corporation by the State Government and the land purchased or acquired or otherwise held by it.
 - (h) **'Public street'** means any street development or causes to be developed by the Corporation.
 - (i) **'rules'** means the rules made under this Act and
 - (ii) **'Land Disposal Rules'** means Rajasthan State Industrial Development and Investement Corporation Disposal of Land Rules, 1979 made by the corporation in exercise of the powers conferred by Article 93 (xv) of the Articles of Associantion of the said Corporation, and as amended from time to time.

CHAPTER-II

Offences and Powers of Corporation

- 3. Penalty for unauthorised development or for use otherwise than in conformity with the Plans.-** (1) Any person who, wheather at his own instance or at the instance of any other person commences, undertakes or carries out development of any land, -
- (a) without permission required under the Land Disposal Rules, or
 - (b) which is not in accordance with any permission granted or is in contravention of any condition subject to which such permission has been granted, or
 - (c) after the permission for development has been duly revoked.
- shall, on conviction by a court having jurisdiction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees, and in case of a continuing offence with a further fine which may extend to one hundred rupees for

every day during which the offence continues after conviction for the first commission of the offence.

(2) Any person who continues to use or allows the use of any land or building in contravention of the provisions of a plan without being allowed to do so under Land Disposal Rules, 1979 or where the continuance of such use has been allowed under the aforesaid rules of the rules made under this Act, continues such use after the period for which such use has been allowed or without complying with the terms and condition under which the continuance of such use is allowed, shall, on conviction by a Court having jurisdiction be punished with fine which may extend to two thousand rupees, and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extend to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

- 4. Encroachment or obstruction upon the land.** (1) Whoever makes any encroachment on any land, not being private property, except steps over drain in any public street, shall, on conviction by a Court having jurisdiction, be punished with simple imprisonment which shall not be less than one month but which may extend to one year and with fine which may extend to twenty thousand rupees.

Provided that the court may, for any adequate or special reasons to be mentioned in the judgment, impose a sentence of imprisonment for a term of less than one month.

(2) Whoever makes any obstruction upon any land not being private property, except steps over drain in any public street, shall on conviction by a court having jurisdiction, be punished with simple imprisonment which may extend to one month or with fine which may extend to two thousand rupees or with both.

(3) The Corporation or an officer authorised by it in this behalf shall have power to remove any such obstruction or encroachment and the expenses of removal shall be recovered from the person who has caused the said obstruction or encroachment.

(4) Whoever not being duly authorised in that behalf removes earth sand or other material from any land shall be punished on conviction by a Court having jurisdiction, with imprisonment which may extend to six months or with fine which may extend to ten thousand rupees or with both.

(5) Notwithstanding anything to the contrary contained in the foregoing provisions of this section, the Corporation or the officer authorised by it in this behalf shall, in addition to the action taken provided in this section, also have power to seize or attach any property found on the land referred to in this section or as the case may be, attached to such land or permanently fastened to anything attached to such land.

(6) Where any property is seized or attached by an officer authorised by the Corporation, he shall immediately make a report of such seizure or attachment to such functionary of the Corporation as may be specified in the Land Disposal Rules or the rules made under this Act.

(7) The functionary of the Corporation, as referred to in sub-section (6), may such orders as he deems fit for the proper custody of the property seized or attached, pending the conclusion of confiscation proceedings, and if the property is a subject to speedy and natural decay, or it is otherwise expedient so to do, such functionary may order it to be sold or otherwise disposed of.

(8) Where any property is sold as under sub-section (7), the sale proceeds thereof, after deduction of the expenses of such sale and other incidental expenses, if any, relating there to shall-

(a) Where no order of confiscation is passed; or

(b) Where an order passed in appeal so requires, be paid to the lessee or occupier thereof or to the person from whom it is seized.

(9) Where any property is seized or attached under sub-section (5), the functionary of the Corporation may order confiscation of such property.

(10) No order for confiscation a property shall be made under sub-section (9) unless the lessee or occupier of such property or the person from whom it is seized or attached is given-

(a) a notice in writing, informing him of the grounds on which it is proposed to confiscate the property;

(b) an opportunity of making a representation in writing within such reasonable time as may be specified in the notice against the grounds of confiscation; and

(c) a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(11) The order of confiscation under sub-section (9) shall not prevent the infliction of any punishment to which the person affected there by is liable under this Act.

(12) Any person aggrieved by an order made under sub-section (7) or sub-section (9) may, within thirty days from the date of communication of such order to him, appeal against it to the District Judge of the District in which such property is seized or attached.

(13) On such appeal being preferred, the District Judge may, after giving an opportunity to the appellant and the respondent to be heard, direct the order to be stayed where necessary pending disposal of the appeal, and either affirm, modify or annul the order of such confiscation and may make any such further orders as he may consider just.

(14) Where any property is seized or attached, pending confiscation under this section, not with standing anything to the contrary contained in any other law for the time being in force, no civil court, tribunal or other authority shall have jurisdiction to make orders with regard to the possession, delivery, disposal, release or distribution of such property.

(15) Where any person is prosecuted of an offence under sub-section (1) or sub-section (2), the burden of proving that he has not committed the offence shall be on him.

(16) Whoever, being an employee of the Corporation, specifically entrusted with the duty to stop or prevent the encroachment or obstruction punishable under this section, wilfully or knowingly neglects or deliberately omits to stop or prevents such encroachment or obstruction, shall, on conviction by a court having jurisdiction, be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one month or with fine which may extend to one thousand rupees or with both.

Provided that no court shall take cognizance against such employed for the offence punishable under this sub-section except with the previous sanction of the Managing Director of the Corporation.

(17) No investigation of an offence under this section shall be made by an officer below the rank of a Deputy Superintendent of Police.

5. Offence by Companies. (1) if the person committing an offence under this Act is a company, every person, who at the time the offence was committed was in charge of the business of the company, as well as the company, shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment provided in this Act, if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2). Notwithstanding anything contained in sub-section (1) where an offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance or, is attributable to any neglect on the part of any Director, Manager, Secretary or other officer shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation :- For the purpose of this section, :-

- (a) Company means a body corporate and includes a firm or other association of individuals, and
- (b) 'Director' in relation to a firm means a partner in the firm.

- 6. Power to require removal of unauthorized development.** - (1) Where any unauthorized development of land has been carried out as indicated in sub-section (1) of section 3, the Corporation may, subject to the provisions of this section, serve on the lease holder and / or the occupier of the land a notice requiring him within such period, not exceeding one month, as may be specified therein, after the service of the notice, to take such steps as may be specified in the notice -
- (a) in cases specified in clause (a) or clause (C) of sub-section (1) of Section 3, to restore the land to its condition existing before the said unauthorized development took place; and
 - (b) in cases specified in clause (b) of sub-section (1) of section 3 to secure compliance with the conditions or with the permission as granted.
- (2) in particular, such notice may, for purpose of sub-section (1) require -
- (a) the demolition or alteration of any building or works or carrying out any other operation, or
 - (b) the discontinuance of any use of land or building or works.
- (3) Any person aggrieved by such notice may, within the period specified in the notice and in the manner determined by regulations apply for permission under the Land Disposal Rules or rules made under this Act, for retention of the land or any building or works or for the continuance of any use of the land, to which the notice relates, and pending the final determination or withdrawal of the application, merely serving of a notice in itself shall not affect in any way the retention of building or works or the continuance of such use.
- (4) if the permission applied for is granted, the notice shall stand withdrawn; but if the permission applied for is not granted the notice shall stand ; or if such permission is granted for the retention only a part of the land, the notice shall stand withdrawn as respects such buildings or works or such part of the land, shall stand as respects other buildings or works or other parts of the land, as the case may be; and thereupon, the lease holder and / or the occupier shall be required to take steps specified in the notice under sub-section (1) as respects such other buildings, works of part of the land.
- (5) If within the period specified in the notice or within the said period after the disposal of the application under sub-section (4), the notice is partially complied with or deemed withdrawn partially, for so much of it as stands not complied with, the Corporation may,-
- (a) Prosecute the lease-holder for not complying with the notice and where the notice requires, the discontinuance of any use of land, or to any/other person also who uses the land or causes or permits the land to be used in contravention of the notice;
 - (b) Where the notice requires the demolition or alteration of any building or works or carrying out of any building or other operations, self cause the

restoration of the held to its conditions as it stood before the unauthorized development took place and secure compliance with the conditions of the permissions as modified by taking such steps as the Corporation may consider necessary including demolition or alteration of any building or work or carrying out of any building or other operation; and recover the amount of any expenses incurred by it in this behalf from the lease-holder and/ or the occupier as arrears of land revenue.

(6) Any person prosecuted under clause (1) of sub-section (5) shall, on conviction, be punished with fine which may extend to five thousand rupees; and in the case of a continuing offence, with a further fine which may extends to one hundred rupees for every day during which such offence continues after conviction for the first commission of the offence.

7. Removal or discontinuance of unauthorized development summarily.-

Notwithstanding anything hereinbefore contained in this chapter, where any person has carried out any development unauthorisedly as indicated in sub-section (1) of section 3, the Corporation may, by an order in writing direct him to remove any structure created or work done or to discontinue the use of land made unauthorisedly as aforesaid, within fifteen days of the receipt of the order, and if thereafter, the person does not comply with the order within the said period the Corporation or any officer authorized by it in this behalf may get such structure or work summarily removed or get such use summarily discontinued without any notice as directed in the order; and any further development unauthorisedly made thereafter shall similarly be summarily removed or discontinued without making any order as aforesaid.

8. Recovery of expenses incurred.- Any expenses incurred by the corporation under the provisions of this Act shall be a sum due to the corporation under this act from the person in default or the lessee or occupier of the land or plot and shall be recovered as arrears of land revenue.

9. Power of the Corporation as to legal matters.- The Corporation may,-

- (a) institute, defend or withdraw from any legal proceeding;
- (b) compound any offence under this Act; and
- (c) admit, compromise or withdraw any claim made in any legal proceeding or otherwise.

10. Power of entry.- (1) Where any case of default or contravention committed or made against the provisions of this Act comes to knowledge of the corporation, any officer of the Corporation authorized in this behalf may, with or without assistants or workmen, enter into or upon any land or building for purposes of,-

- (a) making any enquiry, inspection, measurement or survey or taking levels of such land or building;

- (b) examining works under construction and ascertaining the course of sewers and drains;
- (c) digging or boring into the sub-soil;
- (d) setting out boundaries and intended lines of the works;
- (e) making such levels, boundaries and lines placing mark, and cutting trenches;
- (f) ascertaining whether any land is being or has been developed in contravention of any plan or without the permission or in contravention of any condition subject to which such permission has been granted under this Act; or
- (g) doing any other thing necessary for the efficient administration of this Act:

Provided that-

- 1) no such entry shall be made except between the hours of sunrise and sunset and without giving reasonable notice atleast of twenty four hours to the occupier, or if there be no occupier, to the lessee of the land or building;
 - 2) sufficient notice shall in every instance be given to enable the inmates of any apartment appropriated to females to shift to such part of the premises where their privacy may not be disturbed; and
 - 3) due regard shall always be had, so far as may be compatible with the exigencies of the purposes for which the entry is mad, to the social and religious usages of the occupants of the premises entered.
- (2) It shall be lawful for any person authorised under sub-section (1) to make an entry for the purpose of inspection or search to open or cause to be opened a door, gate or other barrier,-
- (a) if the considers the opening thereof necessary for the purpose of such entry, inspection or search, and
 - (b) if the lessee or occupier is absent or, being present, refuses to open such door, gate or barrier.

Chapter-III

- 11. Trial of offences.**-No Court inferior to that of a Chief Judicial Magistrate shall try and offence punishable under this Act.
- 12. Fine when realized to be paid to the Corporation.**- All fines realized in connection with prosecution under this Act shall be paid to the Corporation.
- 13. Bar of jurisdiction of civil court.**-Notwithstanding anything contained in any law for the time being in force, no civil court shall take cognizance of any matter which is required to be or may be decided by the Corporation or

Board of the Corporation or a committee appointed by the Board or any Director or Secretary or officer or anybody thereof, under this Act.

14. Notice of suit against Corporation.- (1) No suit shall be instituted against the Corporation or any Director thereof or any of its officers or other employees or any person acting under direction of the Corporation or any Director, or any officer or other employees of the Corporation, in respect of any act done or purporting to have been done in pursuance of land disposal rules or rules made under this act or any order, or regulation made thereunder till the expiration two months from the date of which notice in writing has been left at the office or place of abode of the person to be used and unless such notice states explicitly, the cause of action, the nature or relief sought, the amount of compensation claimed and the name and place of residence of the intending plaintiff and unless the plaint contains a statement that such notice has been left or delivered.

(2) No suit such as is described in sub-section(i), shall, unless it is a suit for recovery or immovable property or for a declaration title there to, be instituted after the expiry of one year from the date on which the cause of action arises

15. Immunity to the Corporation.- No suit, prosecution or other legal proceeding shall be maintainable against the Corporation or any person acting under the direction of the Corporation or the Director, or any Officer or employee of the Corporation in respect of anything lawfully and in good faith with due care and attention done under this Act.

16. Officers and other employees of this Corporation to be public servants :- Every Director, officer and employee of the Corporation shall be deemed to be a public servant within the meaning of section 21 of the Indian Penal Code, 1860 (Central Act No. XLV of 1860).

17. Service of notice under this Act :- All documents which expression shall include notices and orders required by this Act or rules or regulations made thereunder or under Land Disposal Rules to be served upon any person, shall, save as otherwise provided in this Act, or rules or regulations made thereunder or under Land Disposal Rules be deemed to be duly served where it is sent by registered post or delivered at the place of business or given or tendered to the person to which it is addressed or if such person can not be found, is affixed on some conspicuous part of his last known place of residence or business, or is given or tendered to some adult member of his family or is affixed on some conspicuous part of the land or building to which it relates, or where an attempt to serve a document on any person in the manner indicated in the foregoing provisions of this section fails, it shall be deemed to be an effective service of the document on such person if the notice of the document to be served is published in some prominent daily local Hindi Newspaper.

18. **Power of Government to make rules :-** (1) The State Government may take rules for carrying out the purposes of this Act.
- (2) The RIICO may, from time to time, make subject to the prior approval of the State Government, regulations for all or any of the matters provided under this Act to be governed by regulations, and generally matters also for which provisions are necessary for the exercise of its powers and discharge of its functions and duties under this Act.
- (3) All rules and regulations made under this Act after its commencement, shall be laid, as soon as may be after they are made, before the House of the State Legislature while it is in session for a total period of fourteen days which may be comprised in one session or two or more successive sessions, and if, before the expiry of the session in which they are so laid or the successive sessions as aforesaid, the House agrees in making any modification in the rules or regulations, as the case may be, or resolves that the rules or regulations, as the case may be, should not be made, the rules or regulations, as the case may be, shall thereafter have effect only in such modified form or be of no effect, as the case may be, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done under these rules or regulations, as the case may be.
- (4) No regulation made by the RIICO under sub-section (2) or rules made by the State Government under sub-section (1) shall take effect unless they are published in the Official Gazette.
- (5) The State Government may, at any time by notification in the Official Gazette, repeal wholly or in part or modify any regulation made by the RIICO provided that, before taking any action under this sub-section, the State Government shall communicate to the RIICO the grounds on which it proposes to do so, fix a reasonable period for the RIICO to show cause against the proposal and consider the explanation and objections, if any, of the RIICO.
- (6) The repeal or modifications of any regulations shall take effect from the date of publication of the notification in the Official Gazette, if no date is therein specified, and shall not affect anything done or omitted or suffered before such date.

(जी. एस. होरा)
Secretary to the Government

राजस्थान राजपत्र
विशेषांक
फरवरी 10, 2003

भाग 1 (ख)

महत्वपूर्ण सरकारी आज्ञायें।

उद्योग (ग्रुप-1) विभाग

अधिसूचना

जयपुर, दिसम्बर 24, 2002

संख्या प.4 (19)उद्योग (1)95:—राजस्थान राज्य विधानमण्डल का "रीको औद्योगिक क्षेत्र (अप्राधिकृत विकास और अधिक्रमण का निवारण) अधिनियम, 1999" (2002 का अधिनियम संख्या – 9) जिसके लिए राष्ट्रपति महोदय को अनुमति दिनांक 6.8.2002 को प्राप्त हुई है तथा अधिसूचना संख्या प.2 (1)विधि (2)99, दिनांक 17.8.2002 द्वारा सर्वसाधारण के सूचनार्थ प्रकाशित किया गया है, के धारा 1(3)में दिये गये प्रावधान के अनुसार राज्य सरकार एतद्द्वारा अधिसूचित करती है कि उक्त अधिनियम दिनांक 01.01.2003 से प्रवृत्त होगा।

आज्ञा से,

महेन्द्र सिंह,
उप शासन सचिव